Serial No & Date of issue :- ------------------------------------ **Envelope "B"**

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.deu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं. 07582–236457

ओपीडी वाहन स्टैण्ड हेतु

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

निविदा मूल्य रु. 1000/–
(नॉन रिफण्डेबल)

पृष्ठ क्रं. 01 से 11 तक

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

1. **कार्य का नाम :–**

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड की निविदा जिसमें समस्त वाहनों को पार्किंग स्थल में निर्धारित तरीके से व्यवस्थित कराना एवं उनकी देख–रेख करना सम्मिलित है। गत वर्ष वाहन स्टैण्ड निविदा हेतु राशि रु. 2,51,000 (रु. दो लाख इक्यावन हजार मात्र) प्राप्त हुई थी। अतः इस वर्ष 2017–18 की न्यूनतम निविदा राशि रु. 2,76000/– (रु. दो लाख छियत्तर हजार मात्र) नियत की जाती है। अतः न्यूनतम निविदा राशि से अधिकतम दर प्रदान करने वाली फर्म को वाहन स्टैण्ड निविदा कार्य प्रदत्त किया जाएगा।

2. **निविदा धरोहर राशि :–**

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रु. 20,000.00 (रु. बीस हजार मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में देय निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। (धरोहर राशि के रुप में चैक/डीडी/बीसी मान्य नहीं है।) **जिसकी वैद्यता कम से कम 12 माह या इससे अधिक होना चाहिए।**

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर नियमानुसार तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य : निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 1000/– वापिसी योग्य नहीं है।

3. **निविदा की समयावधि :–**

निविदा कार्य 03 वर्षों के लिए होगी किंतु निविदा प्रथमतः 01 वर्ष के लिए होगी। निविदा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फर्म के आवेदन पर एवं आगामी वर्षों के लिए महाविद्यालय की क्रय समिति की अनुशंसा पर निविदा, पूर्व शर्तो के साथ अथवा शर्तो में आवश्यक संशोधन/वृद्धि पश्चात आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिवर्ष ठेका राशि में 20 प्रतिशत बृद्धि की जावेगी)

4. निविदा का प्रारुप एवं प्रस्तुति विधि :–

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा www.mpeproc.gov.in के साथ–साथ निविदा की एक हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwritting) मान्य नही किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रुप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा ऑनलाईन एवं त्रिस्तरीय होगी।

4.2 निविदादाता को ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ–साथ एक सील बंद लिफाफे में हार्डकॉपी महाविद्यालय में डाक/स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा।

4.3 मुख्य लिफाफे के अंदर तीन लिफाफे क्रमशः ए., बी. सी रखने होंगे।

4.4 लिफाफा ए में एफ.डी.आर. एवं निविदा मूल्य की मूल प्रति रखनी होगी।

4.5 लिफाफा बी में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा प्रपत्र एवं चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेज रखने होंगे। चाहे गए समस्त दस्तावेज मांग किए गए क्रम अनुसार जमा किये जाने चाहिए।

4.6 लिफाफा सी में निविदा की वित्तीय दर मूल प्रति में जमा करनी होगी।

4.7 निविदाफर्म द्वारा समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित एवं फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

4.8 प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लिफाफों पर प्रति में अधिष्ठाता बीएमसी सागर तथा प्रेषक में फर्म का नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाने के साथ साथ **''बीएमसी चिकित्सालय वाहन स्टेण्ड व्यवस्था निविदा वर्ष 2017–18''** लिखा जाना होगा।

4.9 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदाकार फर्म को निविदा की धरोहर राशि हेतु मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदा मूल्य की पावती भी संलग्न की जानी होगी।

4.10 ऑनलाईन निविदा की तकनीकि निविदा में फर्म को निविदा के चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेजों के साथ–साथ निविदा प्रारुप जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के सील व हस्ताक्षर हो स्कैन कर संलग्न की जानी होगी।

4.11 ऑनलाईन निविदा में चाहे गए प्रारुप में वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत की जानी होगी।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :–

निविदा प्रपत्र, www.mpeproc.gov.in से ऑनलाईन देखने/पढने के बाद दिनांक 17.11.2017 (शुक्रवार) सायं 5:30 बजे तक ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर, ऑनलाईन क्रय की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा मूल्य रु. 1000/– वापिसी योग्य नहीं है।

फर्म द्वारा बीएमसी चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड व्यवस्था हेतु महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–**

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **"बीएमसी चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड व्यवस्था 2017–18"** अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में हार्डकॉपी दिनांक 22.11.17 (बुधवार) को शाम 5:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा हार्डकॉपी में वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, जिन्हें वह ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत कर रहे। फर्म द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

7. **निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरुप :–**

दिनांक 23.11.2017 (गुरूवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, द्वारा ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। समस्त निविदादाता फर्म निविदा खोलने की कार्यवाही ऑनलाईन देख सकेंगे।

7.1 दि. 23.11.17 को दोपहर 3:00 बजे निविदा की एफडीआर निविदा 'ए' खोला जाएगा।
7.2 निविदा 'ए' में सफल होने वाले निविदाकारों की तकनीकि निविदा 'बी' दि. 23.11.17 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी।
7.3 निविदा 'बी' में सफल होने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा 'सी' दि. 24.11.17 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
7.4 चाहे गए दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल होने की पूर्ण जबावदेही संबंधित फर्म की होगी।
7.5 क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. **निविदा का परीक्षण एवं विश्लेषण :–**

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर अधिकतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा। यदि एक से अधिक निविदादाता की अधिकतम दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को वाहन स्टैण्ड व्यवस्था का शासकीय संस्थानों से संबंधित अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि कम या अधिक दरों को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा।

9. **अनुबंध :—**

सफल निविदाकार को अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ महाविद्यालय ''**बीएमसी चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड व्यवस्था** कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्टाम्प पेपर रु.1000/—एवं नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं व्यय करना होगा। 01 वर्ष पश्चात् कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फर्म के आवेदन पर एवं क्रय समिति की अनुशंसा पर, निविदा अवधि आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिवर्ष ठेका राशि में 20 प्रतिशत बृद्वि की जावेगी) कार्यसंतोषजनक न होने पर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन को कभी भी एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं अनुबंध में नई शर्तें घटाने या बढ़ाने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को होगा।

10. **वाहन स्टैण्ड कार्य का वर्गीकरण एवं अनिवार्य शर्ते (स.क्रं. 1 से 21 तक) :—**

1. अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म से, अनुबंध संपादित कर, ओपीडी वाहन पार्किंग कार्य निम्न शर्तो के साथ प्रदान किया जाएगा। अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी करने की अगली दिनांक से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर निविदा अवधि 20 प्रतिशत किराया बृद्वि के साथ आगामी वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकेगी। अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म प्रस्तावित वित्तीय राशि का 50 प्रतिशत अनुबंध के साथ एवं 25 प्रतिशत राशि प्रथम दो माह में, शेष 25 प्रतिशत राशि चौथे माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। अधिकतम दर प्रदायकर्ता फर्म को एक सप्ताह के अंदर अनुबंध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। एक सप्ताह में अनुबंध नहीं कराने पर द्वितीय निविदाकार फर्म से अनुबंध कराने के लिए अधिष्ठाता स्वतंत्र होंगे।

2. अनुबंध करने की तिथि से प्रथमतः आपको महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में क्रमबद्ध तरीके से लगाना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों/चिकित्सकों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थित वाहन पाए जाने पर, आपके विरुद्ध 20,000 (बीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड शस्ति लगाई जा सकती है अथवा आपकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

3. ओपीडी चिकित्सालय में, पार्किंग व्यवस्था त्रिभागीय होगी उक्त तीनों भागों की वाहन पार्किंग व्यवस्था आपकी देख—रेख में होगी, पार्किंग के प्रथम भाग में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों/स्टाफ के वाहन रखे जाएंगे, द्वितीय भाग में छात्रों के वाहन रखे जाएंगे तथा तीसरे एवं अंतिम भाग में मरीजों के आने वाले परिजनों/मरीजों/आगुन्तकों के वाहन रखे जाएंगे। प्रथम दो भाग की पार्किंग व्यवस्था निःशुल्क होगी। तीसरे भाग से आप, वाहन पार्किंग शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

4. चिकित्सालय में आने वाले मरीजो/परिजन के वाहनों से पार्किग स्थल में लगवाने का शुल्क निम्नानुसार रहेगा :—

क्रं.	वाहन	दर
(अ)	दो पहिया रजिस्टर्ड वाहन :–	**पॉच रु. प्रति वाहन (24 घण्टे या उसके भाग)**
(ब)	चार पहिया रजिस्टर्ड वाहन :–	**दस रु. प्रति वाहन (24 घण्टे या उसके भाग)**
(स)	विकलांग वाहन :–	**निशुल्क**
(द)	सायकिल :–	**2/–(24 घण्टे या उसके भाग)**
(य)	शासकीय वाहन/स्टाफ :–	**निःशुल्क**

5. निविदादाता फर्म द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों को निश्चित वर्दी एवं उनके नाम की पट्टी प्रदान की जाएगी। फर्म के कर्मचारियों को उसे पहनकर आना अनिवार्य होगा।

6. वाहन स्टैण्ड पार्किंग में चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/कर्मचारियों/छात्रों के वाहन पार्किंग पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। उक्त वाहनों के अतिरिक्त शासकीय वाहन एवं शासकीय कार्यालय में अनुबंधित वाहन भी पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे। शुल्क मुक्ति हेतु संबंधित चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/कर्मचारियों/छात्रों का, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य किया जाएगा।

7. अनुबंधित फर्म को वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु न्यूनतम छः कर्मचारी प्रति दिन (तीन शिफ्ट में) लगाया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न पाए जाने पर निविदादाता की निविदा अस्वीकृत एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

8. निविदादाता फर्म को स्वयं के व्यय से ओपीडी में निर्धारित पार्किंग स्थल में, पेड पार्किंग स्टाफ पार्किंग/स्टूडेंट पार्किंग का बोर्ड एवं दर राशि का बोर्ड लगवाकर चस्पा कराना अनिवार्य होगा। बोर्ड में फर्म का नाम निविदा की अवधि भी उल्लेखित की जानी होगी।

9. निविदादाता फर्म का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह, चिकित्सालय में आने वाले ऑटों अथवा अन्य मरीज वाहन इत्यादि को मरीज आने के उपरांत यथाशीघ्र ओपीडी परिसर से बाहर निकालेंगे।

10. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही वाहन स्टैण्ड व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा। संधारण ठेके पर यदि कम राशि प्राप्त करनी पड़ी तो निविदा की अंतर की राशि प्रथम निविदादाता फर्म की अग्रिम धरोहर राशि से कटौत्रा कर वसूल की जाकर अग्रिम धरोहर राशि राजसात की जावेगी। साथ ही फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा।

11. निविदादाता फर्म स्वयं उक्त व्यवस्था करने में असफल होता है या वह स्वयं ठेका छोड़ने हेतु आवेदन देता है तो फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि में से 50 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष राशि ही वापिस की जा सकेगी।

12. ठेकेदार द्वारा वाहन स्टैण्ड व्यवस्था हेतु नियुक्त किए कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष सामान्यतः होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा

नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू होने वाले अधिनियम जैसे– श्रम विभाग अधिनियम, कर्मचारी भविष्य अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, न्यूनमतम वेतन अधिनियम इत्यादि का पालन कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

13. निविदादाता फर्म को नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूची नाम, पता, फोटो सहित इस कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करें जो, चिकित्सालय में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से शांत एवं मृदु व्यवहार करे एवं आने वाले वाहनों को शांति से पार्किंग स्थल में लगवाये। सूची का प्रारुप निम्नानुसार है :–

क्रं.	नाम	पिता का नाम	पता	फोटो आई.डी.	फोटो	हस्ताक्षर

14. निविदादाता फर्म को, पार्किग स्थल में लगने वाले वाहन मालिकों को अदा शुल्क एवं वाहन रखने की रसीद (स्लिप) प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिसमें वाहन रखने की तिथि, समय एवं वाहन रजिस्टेशन नंबर इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा।

15. वर्तमान में महाविद्यालय की ओपीडी में लगभग 1000 मरीज प्रतिदिन आ रहे है। साथ ही महाविद्यालय के चिकित्सालय में लगभग 700 मरीज इनडोर है। मरीजों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। वाहन पार्किग, ओपीडी निर्धारित समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 अधिक रहेगी। इसके अतिरिक्त वाहन पार्किंग में वाहन 24 घंटों या अधिक समय के लिए लगाना आपका उत्तरदायित्व होगा। क्योंकि इनडोर मरीजों के परिजन, देर रात अथवा रात भर महाविद्यालय परिसर में रह सकते है। अतः उनके वाहन, पार्किग स्थल में 24 घंटों में से कभी भी लगाए जा सकेंगे।

16. वाहन पार्किंग स्टैण्ड में लगाए गए वाहनों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी, निविदादाता फर्म की होगी। अतः वाहन चोरी/खराब हो जाने पर, वाहन मालिक एवं निविदादाता फर्म के बीच विवाद होने पर, निराकरण निविदादाता फर्म एवं वाहन मालिक आपस में सुलझाएंगे। महाविद्यालय प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा। वह न तो निविदादाता फर्म और न ही वाहन मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा।

17. वाहन स्टैण्ड निविदादाता फर्म के कार्यकाल में यदि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस शिकायत का निराकरण अधिष्ठाता महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

18. निविदादाता फर्म को निविदा की समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा, किसी भी एक शर्त/शर्तो के उल्लघंन करने पर फर्म की निविदा निरस्त एवं जमा सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। अधिष्ठाता एवं अधीक्षक चाहे तो वह निविदा शर्तो के उल्लघंन पर, निविदादाता फर्म पर आर्थिक दण्ड अधिकतम राशि रु. 20000/– तक प्रति एक प्रकरण अर्थ शस्ति लगा सकते है। जिसकी वसूली निविदादाता द्वारा जमा सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

19. चिकित्सा महाविद्यालय, किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का

कभी भी निरीक्षण किया जाना निश्चित है। ऐसी स्थिति में आपकी पार्किंग व्यवस्था में कोई भी कमी पाई जाती है तो स.क्रं. 18 के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जाएगा।

20. फर्म द्वारा महाविद्यालय/चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ एवं छात्र–छात्राओं के वाहन के लिए एक बीएमसी का लोगो वाहनों पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

21. फर्म का जीवित जी.एस.टी. पंजीयन होना अनिवार्य है।

11. **निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :–**

प्रदाय निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ (संलग्नकों पर स्वयं के हस्ताक्षर करे एवं सील लगाए) एक सील बंद लिफाफें में, जिसके ऊपर ओपीडी वाहन पार्किंग की तकनीकि निविदा **Envelope- "B"** लिखकर, रखें :–

क्रमांक	**विवरण**	**हॉ/नहीं**
1	निविदा प्रपत्र मूल रुप में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित	
2	निविदादाता संस्था/फर्म का ठेकेदारी करने का लायसेंस	
3	निविदादाता का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति	
5	निविदादाता फर्म को आयकर चुकता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा 2016–17	
6	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य सामग्री लेटर हैड पर जानकारी आवश्यक है। परिशिष्ट–1	
7	किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने एवं दी गई जानकारी सत्य होने संबंधी 50 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र परिशिष्ट–2	
8	अन्य यदि कोई हो तो	

नोट :– 1. उपरोक्त समस्त संलग्नकों की मूल/छायाप्रतियॉ स्वयं सत्यापित एवं फर्म की सील लगाकर, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त समस्त दस्तावेजों को होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकि अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

परिशिष्ट–1

वाहन निविदा हेतु कर्मचारी एवं सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... यह प्रमाणित करता हूँ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय के वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में कर्मचारी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराऍगें।

हस्ताक्षर ....

संचालक/व्यवस्थापक का नाम ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पूर्ण पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

परिशिष्ट–2

(50 रु. के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. .... (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता .... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य/गलत पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही हमारी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्थानों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। मैं अथवा मेरी फर्म महाविद्यालय प्रशासन/शासन द्वारा निर्धारित समस्त नियमों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमति प्रस्तुत करता हूँ।

हस्ताक्षर ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

2. पूरा नाम :– ....

   पता :– ....

   ....

Envelope- "C"

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :– महाविद्यालय से संबद्ध ओपीडी/चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड की वित्तीय निविदा प्रदान करने बावत्।

आपके द्वारा .... (समाचार पत्र का नाम) में दि. .... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, मैं से संबद्ध ओपीडी/चिकित्सालय में वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा निम्नानुसार वित्तीय निविदा प्रस्तुत करता हूँ। मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।

वाहन पार्किंग स्टैण्ड की वित्तीय निविदा दर

क्रमांक	विवरण	निविदा दर (रुपयों में)
01	एक वर्ष के वाहन स्टैण्ड हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय को एकमुश्त जमा की जाने वाली अधिकतम राशि की वित्तीय दर **(समस्त कर अतिरिक्त)**	

विशेष :– निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते मैंने पढ़ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर नियमानुसार मेरे द्वारा एकमुश्त जमा की जाएगी।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :– ....

....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :– ....

मोबाइल नं. :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :– ....

निविदादाता फर्म की सील :– ....

नोट :– कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट–छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट–छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।